वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

(कुलसचिव कार्यालय)

कार्यवाही विवरण विद्या परिषद की 63वीं बैठक दिनांक 17 नवंबर 2021

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा की विद्या परिषद की 63वीं बैठक दिनांक 17 नवंबर 2021 को मध्यान्ह 12.15 बजे गांधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. प्रो0 आर0एल0 गोदारा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।
2. प्रो0 जे0 के0 डोडिया, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,राजकोट।
3. डा0 अखिल कुमार, राज0विश्वविद्यालय,जयपुर।
4. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।
5. डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
6. डा0 सुबोध कुमार,सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
7. डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,जोधपुर।
8. डॉ0 दिलिप कुमार शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,कोटा।
9. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
10. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
11. डा0 अनुरोध गोधा, सहा0आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
12. डॉ0 पतंजलि मिश्रा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
13. डॉ0 कपिल गौतम,सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
14. डा0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
15. डा0 संदीप हुड्डा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
16. डा0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ,सहा0आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
17. श्री रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
18. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
19. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
20. डा0 मो0 अख्तर खान , कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा। (सदस्य सचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए निर्वतमान सदस्य प्रो0 बी0बी0 खन्ना एवं श्री एस0डी0 मीना का उनके सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं नवनियुक्त सदस्यों प्रो0 जे0के0 डोडिया एवं डा0 अखिल कुमार का सदन से परिचय करवाते हुए स्वागत किया गया, तदुपरांत कार्यसूची विवरण के अनुसार बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश सदन के सदस्य सचिव को प्रदान किए । कार्यसूची विवरण पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

63/01 विद्या परिषद की 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

सदन द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न विद्या परिषद की 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

63/02 विद्या परिषद की 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020 में लिए गए निर्णयों की पालना में अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

सदन द्वारा विद्या परिषद की 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020 में लिए गए निर्णयों की पालना पर संतोष व्यक्त करते हुए पालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

63/03 एम0कॉम0 (ई.ए.एफ.एम.) की सी.डी.सी. बैठक दिनांक 23 एवं 24 फरवरी 2021 का कार्यवाही विवरण अनुमोदित करवाने का प्रस्ताव।

एम0 कॉम (ई.ए.एफ.एम.) कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में डा0 अनुरोध गोधा द्वारा सदन को विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि कार्यक्रम तैयार करने में यू0जी0सी0 गाईडालाइन के अनुसार क्रेडिट व्यवस्था की गई है, प्रो0 जे0 के0 डोडिया द्वारा वाणिज्य संकाय द्वारा कार्यक्रम तैयार करने की कार्यवाही की सराहना करते हुए अन्य संकायों को भी इसका अनुसरण करने का अनुरोध किया गया। चर्चा उपरांत विद्या परिषद द्वारा एम0कॉम0 (ई.ए.एफ.एम.) की सी.डी.सी. बैठक दिनांक 23 एवं 24 फरवरी 2021 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया और कार्यक्रम के पूर्वाद्व के 36 क्रेडिट पूर्ण करने पर PGDEAFM उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था को भी समाप्त करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।

63/04 दूरस्थ शिक्षा हेतु यू0जी0सी0 अधिनियम 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए जाने के उपरांत निम्नलिखित कार्यक्रमों की समयावधि में संशोधन /कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय किए गए :–

1. कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न विभिन्न कार्यक्रमों की समयावधि में यू0जी0सी0 दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री नीरज अरोडा द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव में एम0सी0ए0 कार्यक्रम की न्यूतम अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम अवधि 06 वर्ष उल्लेखित है, जबकि न्यूनतम अवधि 02 वर्ष एवं अधिकतम 04 वर्ष होनी चाहिए, सदन द्वारा उक्त संशोधन के साथ कार्यसूची विवरण में उल्लेखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
2. **निदेशक, संकाय** द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को जनवरी 21 प्रवेश सत्र से स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार कुछ विशेष क्षेत्रों यथा कृषि जुड़े कार्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालन पर रोक होने के कारण आगामी आदेश तक स्थगित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है,सदन द्वारा उक्त जानकारी के बाद DGA और CCP कार्यक्रमों को स्थगित रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3. **सतत् शिक्षा विद्यापीठ** द्वारा संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों को जनवरी 21 प्रवेश सत्र से स्थगित किए जाने के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया :–

1. सर्टिफिकेट इन ह्युमन राईट्स।
2. सर्टिफिकेट इन कंज्युमर प्रोटेक्शन लॉ
3. सर्टिफिकेट इन बैंकिंग एण्ड इंश्योरेंस लॉ
4. सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशियन
5. डिप्लोमा इन न्यूट्रीशियन एण्ड हैल्थ एज्युकेशन

4. **<u>वि0 एवं तक0 विद्यापीठ</u>** द्वारा संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों को जनवरी 21 प्रवेश सत्र से स्थगित किए जाने के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया :–

1. डिप्लोमा इन नैचुरोपेथी साइंस
2. सर्टिफिकिट इन आयुर्वेदिक पंचकर्मा
3. डिप्लोमा इन जनरल एग्रीकल्चर
4. सर्टिफिकेट इन क्रोप प्रोटेक्शन

कार्यक्रम स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में डा0 अनुरोध गोधा का सुझाव था कि कोई कार्यक्रम प्रवेश सत्र के बीच में स्थगित न कर प्रवेश सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित किया जाना चाहिए । डॉ0 गोधा के मत से सहमति व्यक्त की गई एवं भविष्य में इसी के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय किया गया।

63/05 निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2021 का कर्यवाही विवरण अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करते हुए डा0 क्षमता चौधरी, जिनके पास निदेशक, शोध के पद का कार्यभार भी है, द्वारा सदन को विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि निदेशकों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की अनुमति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित किया गया है किंतु वहां से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण कोई आगामी कार्यवाही नहीं हो सकी है। सदस्य डा0 जे0 के0 शर्मा द्वारा सदन को अवगत करवाया कि यू0जी0सी0 को इस सम्बन्ध में प्रेषित किए गए पत्र की जानकारी निदेशकों को प्रदान नहीं की गई एवं ना ही पुनः कोई स्मरण पत्र जारी किया गया है। डा0 दिलिप कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय क्षेत्रीय निदेशकों को शोध कार्य से प्रथक रखने सम्बन्धी आदेश की प्रति भी उन्हें उपलब्ध कराने की मांग रखी। सदस्य श्री संदीप हुड्डा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की 53वीं अकादमिक काउंसिल,जो कि 19 जनवरी 2016 को हुई थी,में क्षेत्रीय निदेशकों को आगामी सत्र से शोध पर्यवेक्षक नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। डा0 अनुरोध गोधा ने मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशकों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की स्थिति प्रस्तुत करने अथवा स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न निकायों से जो पत्र व्यवहार किया जाए उक्त पत्र के प्रारूप के निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय निदेशकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वे अपना पक्ष प्रभावी रूप से रख सकें। डा0 गोधा ने यह भी विचार व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय में भी समय समय पर क्षेत्रीय निदेशकों के पदों की योग्यता अलग अलग रही है एवं प्रबंध मंडल द्वारा भी योग्यताओं में परिर्वतन किया जाता रहा है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छठवें वेतनमान के पश्चात् समय समय पर जारी पदो के विज्ञापन योग्यताओं एवं समय समय पर परिर्वतित की गई योयताओं का ब्यौरा आगामी विद्या परिषद के पटल पर सूचनार्थ रखा जाए। डा0 गोधा के उक्त विचार से माननीय कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रकट की गई। डा0 जे0के0 शर्मा द्वारा विचार व्यक्त किए कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशकों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की स्थिति प्रस्तुत करने अथवा स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न निकायों से जो पत्रव्यवहार किया जाए ,उस पत्र के प्रारूप के निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय निदेशकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वे अपना पक्ष प्रभावी रूप से रख सकें। डा0 अनिल कुमार जैन द्वारा सदन को बताया गया कि कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया है कि निदेशक, क्षे0के0 को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने की अनुमति हेतु राजभवन को भी पत्र प्रेषित किया गया है, जब कि इस सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही अधिकृत है एवं उसका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा अतः राजभवन अनुमति किस परिपेक्ष में चाही गई है यह स्पष्ट नहीं है, यू0जी0सी0 रेग्युलेशन के अनुसार अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

सदन द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय किया गया कि यू0जी0सी0 अनुमति हेतु पुनः शोध विभाग द्वारा पत्र,निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों से सलाह कर प्रेषित किया जाए एवं उसकी एक प्रति क्षेत्रीय निदेशकों भी उपलब्ध करवाई जाए।

63/06 शोध कार्य से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों पर विचार करने हेतु गठित समिति की दो बैठकों (दिनांक 13 जनवरी 2021 एवं 20 मार्च 2021) का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं निणयार्थ।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण पर सदन में गहन चर्चा की गई एवं लगभग सभी सदस्यगणों द्वारा अपने–अपने मत व्यक्त किए गए। प्रो0 बी0 अरूण कुमार एवं प्रो0 जे0के0 डोडिया द्वारा मत व्यक्त किया कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व नियमों के तहत ही शोधार्थियों का पंजियन किया गया है एवं यू0जी0सी0 नियम बाद में आए शोधार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के पुराने नियमों के अनुसार शोध कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। कोई भी नियम भूतलक्षित प्रभाव से लागू नहीं होता है। इन प्रकरणों में भी यदि भूतलक्षित प्रभाव से नियम लागू किए गए तो न्यायिक प्रकरण होने की संभावना है। अतः विद्यमान नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत इन शोधार्थियों के शोध कार्य पूर्ण करवाए जाने पर विचार किया जा सकता है। श्री अखिल कुमार, डा0 अनिल कुमार जैन, डा0 एस0के0 कुलश्रेष्ठ, डा0 दिलीप शर्मा एवं श्री रवि गुप्ता द्वारा भी प्रो0 बी0 अरूण कुमार एवं प्रो0 डोडिया के मत से सहमति व्यक्त की गई। डा0 आलोक चौहान द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि इन प्रकरणों में जो समिति गठित की गई है उसकी अनुमति भी जब सदन से प्राप्त नहीं की गई है, तो अब इन प्रकरणों को निर्णय हेतु सदन में क्यों प्रस्तुत किया गया है। डा0 अनुरोध गोधा द्वारा भी डा0 चौहान के मत से सहमति व्यक्त की गई।डा0 अनिल कुमार जैन ने कहा कि शोध कार्य पूर्ण होने पर शोधार्थी को 2009 के अनिधिनयम के तहत निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शोधार्थी को यह प्रमाण पत्र सही रूप से जारी किया जाए। डा0 सुशील राजपुरोहित ने भी मत व्यक्त किया कि विधि के आधार पर यह करना चाहिए कि जब छात्रों को उपाधि प्राप्त हो तब भविष्य में उन्हें उन उपाधि सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। डा0 आलोक चौहान ने यह मत प्रस्तुत किया कि छात्र एवं विश्वविद्यालय हित में विद्या परिषद को पूरे प्रकरण से सम्बन्धित संभावित अकादमिक विकल्पों पर विचार करना चाहिए । माननीय सदस्य प्रो0 जे0के0 डोडिया ने यह मत भी व्यक्त किया कि क्षेत्रीय निदेशकों के स्थान पर सम्बन्धित विषय के शिक्षक को शोध पर्यवेक्षक नियुक्त करने के विकल्प की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। प्रस्ताव के अन्य भाग में अशैक्षणिक कार्मिकों को कार्यालय समय में कोर्सवर्क करवाए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए डा0 पतंजलि मिश्र द्वारा कहा कि इन कर्मचारियों द्वारा नियमान्तर्गत प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की स्वीकृति से शोध कार्य में प्रवेश लेकर शोध कार्य प्रारंभ किया है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किए गए कोर्सवर्क को गलत ठहराया जाना उचित नहीं है। सदस्यों द्वारा डा0 पतंजली मिश्र के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए मानवीय आधार पर शोधार्थियों के हित में निर्णय लिए जाने के विचार व्यक्त किए जिस पर सदस्य श्री रवि गुप्ता द्वारा कहा गया कि यदि मानवीय आधार पर निर्णय किया जाता है तो प्रस्ताव संख्या 63/05 में भी निदेशकों को मानवीय आधार पर शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा इसके जवाब में कहा गया कि शोधार्थियों के हित में निर्णय का विचार तत्समय के नियमानुसार सम्पन्न कार्य के कारण व्यक्त किए गए है, जबकि निदेशकों को भविष्य में शोध पर्यवेक्षक बनाए ज़ाने पर विचार किया जा रहा है,जो कि वर्तमान में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है।

सदन में हुई गहन चर्चा में उभरी मतभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन के अध्यक्ष होने की हैसियत से प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई कि शोधार्थियों द्वारा निदेशकों के अधीन शोध कार्य करवाया जाना एवं विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कार्मिकों द्वारा कार्यालय समय में कोर्सवर्क किया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण शोध उपाधि जारी किए जाने की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

63/07 सत्रांत परीक्षा जून 2020 के लिए कोविड महामारी के कारण राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी प्रश्न पत्रों की समयावधि तीन के स्थान पर दो घंटे कर दी गई थी इस क्रम में बी.एल.आई.एस. 03 एवं 04 तथा डी.एल.आई.एस. 02 एवं 03 प्रश्न पत्रों की समयावधि सम्बन्धी परीक्षा विभाग का आदेश संख्या 1319 दिनांक 09.04.21 अवलोकन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को जानकारी दिए जाने के बाद परीक्षा विभाग के आदेश संख्या 1319 दिनांक 09 अप्रेल 2021 की पुष्टि की गई।

63/08 सत्रांत परीक्षा जून–2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा में जिन अनिवार्य प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न पत्र पर आधारित होती है, उनकी समयावधि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04 जुलाई 2021 में समयावधि दो घंटे के स्थान पर एक घंटे किए जाने बाबत् आदेश संख्या 145 दिनांक 27.08.21 अवलोकन एवं पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को जानकारी दिए जाने के बाद परीक्षा विभाग के आदेश संख्या ~~1319~~ 145 दिनांक ~~09 अप्रेल 2021~~ 27-8-2021 की पुष्टि की गई।

63/09 14नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश संख्या 77, 78 दिनांक 09 जुलाई 2021 एवं 209 दिनांक 14.09.21 की पुष्टि हेतु प्रस्ताव।

प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा नवीन अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया कि अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि अध्ययन केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के वैद्यानिक निकायों से प्राप्त की जानी आवश्यक है। विज्ञान कार्यक्रमों की प्रेक्टिकल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद की पूर्व बैठक में अनुमोदित नियमों के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करने वाले महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निम्नलिखित अध्ययन केन्द्रों की निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने और अनुशंसा होने के बाद इनमें भी अध्ययन केन्द्र बनाए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया:–

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केन्द्र	अध्ययन केन्द्र का नाम
01	अजमेर	सोफिया कन्या महाविद्यालय,अजमेर
02	अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, डेगाना (नागौर)
03	अजमेर	श्री टेगौर महाविद्यालय,कुचामन सिटी (नागौर)
04	अजमेर	एस0बी0आर0एम0 राज0 महाविद्यालय, नागौर
05	बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर (बीकानेर)
06	बीकानेर	मंडा कालेज, जयपुर रोड, रायसर, बीकानेर
07	जोधपुर	महादेव कालेज, बायतु (बाड़मेर)

विद्या परिषद द्वारा पूर्व में खोले गए अध्ययन केन्द्रों का अनुमोदन करते हुए नवप्रस्तावित उक्त सात अध्ययन केन्द्रों को खोले जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। डा0 संदीप हुड्डा द्वारा भरतपुर में एम0एस0सी0 पाठ्यक्रमों के नवीन यू0जी0सी0 नियमानुसार प्रायोगिक शिविर आयोजित करवाने की स्वीकृति पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को बताया गया कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही की जाएगी।

63/10 विश्वविद्यालय में Alumni cell के गठन उपरांत बैठक का कार्यवाही विवरण एवं सैल के बाह्य सदस्य डा0 अरूण त्यागी को सेल का पंजीकरण करवाए जाने हेतु अधिकृत करने सम्बन्धी निदेशक संकाय द्वारा जारी पत्र संख्या 146 दिनांक 02.09.21 एवं इससे सम्बन्धित कार्यवाही सदन के समक्ष रिपोर्टिंग आइटम के रूप में प्रस्तुत है।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को अवगत करवाया कि Alumni cell के गठन के तहत इसका पंजिकरण सहकारी विभाग से भी करवा लिया गया है जिसका ऑनलाईन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त भी हो गया है, माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवा कि Alumni cell का गठन नेक एक्रिडियेशन के लिए भी आवश्यक है एवं इसके अंक नेक एक्रिडियेशन में जोड़े जाते है, सदन द्वारा Alumni cell के गठन पर हर्ष व्यक्त करते हुए की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं इस कार्य में विशेष सहयोग हेतु डा0 अरूण त्यागी एवं श्री राकेश शर्मा और सहकारिता विभाग का आभार व्यक्त किया गया।

63/11 एम0फिल0 कार्यक्रम के प्रवेशित छात्रों को यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कार्यक्रम की उपयोगिता समाप्त होने के कारण,प्रवेश शुल्क लौटाए जाने सम्बन्धी आदेश अवलोकन एवं पुष्टि हेतु।

कार्यक्रम शुल्क लौटाए जाने के आदेश का अनुमोदन किया गया।

63/12 सत्रांत परीक्षा की अवधि एवं ओ.एम.आर. शीट्स के सम्बन्ध में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 296–302 दिनांक 05.09.21 अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को जानकारी दिए जाने के बाद परीक्षा विभाग के आदेश संख्या 296–302 दिनांक 05.09.21 की पुष्टि की गई।

63/13 जून–21 संत्रात परीक्षा अवधि के सम्बन्ध में परीक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 20393 दिनांक 19 जुलाई 2021 अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को जानकारी दिए जाने के बाद परीक्षा विभाग के आदेश संख्या 20393 दिनांक 19 जुलाई 2021की पुष्टि की गई।

63/14 विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह के सम्बन्ध में ग्रेस पास का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह हेतु ग्रेस पास (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही संपन्न करते हुए छात्रों को उपाधि प्रदान किए जाने हेतु ग्रेस पास किया गया।

(अनुलग्न संलग्न)

उपरोक्त निर्णयों एवं चर्चा उपरांत आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

(डा0 मो0 अख्तर खान)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव (विद्या परिषद)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दीक्षा कार्यक्रम 2021

कुलसचिव : कुलपति महोदय क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जावे |

कुलपति : मेरी अनुमति है |

कुलसचिव : कुलपति महोदय कि अनुमति से मैं इस दीक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ होने कि घोषणा करता हूँ |

(इसके उपरांत कुलसचिव बैठकर, पुन: खड़े होकर निम्न वाक्य पढ़ेंगे|)
मैं निदेशक, अकादमिक से निवेदन करता हूँ कि वे विद्या परिषद से प्रार्थना करें कि विद्या परिषद निम्न विषयों के कुल **22508** विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने कि अनुमति दे |

निदेशक , अकादमिक खड़े होकर कुलपति को संबोधित करते हुए निम्नानुसार निवेदन करेंगे :-
निवेदन है कि निम्न मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ के कार्यक्रमों के सामने उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर 2019 से जून 2020 की अवधि में आयोजित की गई थी, उक्त उपाधि/ डिप्लोमा हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	दिसम्बर 2019	जून 2020	कुल
1	पीएच.डी.	Ph.D.	05		05
	स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम				
2	एम.ए. समाज कार्य	MSW	183	231	414
3	एम.ए. भूगोल	MAGE	991	219	1210
4	एम.ए. भूगोल (लेटरल)	MAGE-L	02	0	02
5	एम.ए. संस्कृत	MASA	82	76	158
6	एम.ए. हिन्दी	MAHD	986	726	1712
7	एम.ए. हिन्दी (लेटरल)	MAHD-L	04	02	06
8	एम.ए. अर्थशास्त्र	MAEC	50	79	129

09	एम.ए. इतिहास	MAHI	545	1093	1638
10	एम.ए. इतिहास (लेटरल)	MAHI-L	01	01	02
11	एम.ए. राजनीति विज्ञान	MAPS	684	1456	2140
12	एम.ए. राजनीति विज्ञान (लेटरल)	MAPS-L	0	01	01
13	एम.ए. समाज शास्त्र	MASO	137	69	206
14	एम.ए. लोक प्रशसन	MAPA	24	27	51
15	एम.ए. अंग्रेजी	MAEG	488	367	855
16	एम.ए. राजस्थानी	MARJ	27	31	58
17	एम.ए. गणित	MAMT	06	26	32
18	एम.ए. पुलिस प्रशासन	MAPST	12	06	18
19	एम.ए. मनोविज्ञान	MAPSY	113	97	210
20	बी.ए.	BA	1940	3300	5240
21	बी.ए. (लेटरल)	BA-L	68	137	205
22	बी. एस. डब्लू.	BSW	09	04	13
23	जल स्त्रोत प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	PGDWR	03	01	04
24	गाँधी एवं अहिंसक संघर्ष निवारण स्नातकोत्तर डिप्लोमा	PGDGN	01	0	01
25	संस्कृति एवं पर्यटन में डिप्लोमा	DCT	04	11	15
26	राजस्थान में सामाजिक समस्याओ मे डिप्लोमा	DSPR	02	04	06
27	जल संग्रहण में डिप्लोमा	DWSM	03	09	12
28	सामान्य कृषि में डिप्लोमा	DGA	34	39	73
29	अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा	DPL	0	01	01
कुल योग			**6399**	**8013**	**14412**

निवेदन है कि सतत शिक्षा विद्यापीठ से संबंधित निम्न पाठ्यक्रमों के समक्ष उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर 2019 से जून 2020 की अवधि में आयोजित की गई थी, उक्त उपाधि/डिप्लोमा हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	दिसम्बर 2019	जून 2020	कुल
	स्नातकोत्तर कार्यक्रम				
1	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कार्यक्रम	MJ	06	21	27
2	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम	MLIS	161	311	472
	स्नातक कार्यक्रम				
3	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक कार्यक्रम	**BJMC**	**36**	**0**	**36**
4	पत्रकारिता में स्नातक कार्यक्रम	BJ	01	98	99
5	पत्रकारिता में स्नातक कार्यक्रम (लेटरल)	BJ-L	01	03	04
6	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम	BLIS	836	0	836
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम				
7	श्रम कानून, औद्योगिक सम्बन्ध एवं कार्मिक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	**PGDLL**	50	126	176
8	साइबर विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	PGDCL	15	38	53
9	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	PGIPR	06	11	17
10	योग विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	PGDYS	305	660	965
	डिप्लोमा कार्यक्रम				
11	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम	**DLIS**	961	0	**961**
12	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	DNHE	30	85	115
13	जर्नलिस्म एवं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कार्यक्रम	DJMC	01	0	01
14	जनसंचार में डिप्लोमा कार्यक्रम	DMC	14	56	70

15	योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम	DYS	196	74	270
16	नेचुरोपैथी विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम	DNS	10	02	12
17	न्यू मिडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	PGDNM	01	01	02
	कुल योग		**2630**	**1486**	**4116**

निवेदन है कि शिक्षा विद्यापीठ से संबंधित निम्न पाठ्यक्रमों के समक्ष उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर 2019 से जून 2020 की अवधि में आयोजित की गई थी, उक्त उपाधि/डिप्लोमा हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	दिसम्बर 2019	जून 2020	कुल
	स्नातकोत्तर कार्यक्रम				
1	एम.ए. शिक्षा	**MAED**	**125**	**204**	**329**
	स्नातक कार्यक्रम				
2	शिक्षा में स्नातक (नया)	BED-II	11	406	417
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम				
3	निर्देशन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	**PGDGC**	**133**	**220**	**353**
	डिप्लोमा कार्यक्रम				
	कुल योग		**269**	**830**	**1099**

निवेदन है कि विज्ञान एवं तकनिकी विद्यापीठ से संबंधित निम्न पाठ्यक्रमों के समक्ष उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर 2019 से जून 2020 की अवधि में आयोजित की गई थी, उक्त उपाधि/डिप्लोमा हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	दिसम्बर 2019	जून 2020	कुल
	स्नातकोत्तर कार्यक्रम				

1	एम.एससी. भूगोल	MSCGE	305	58	363
2	वनस्पतिशास्त्र में स्नातकोत्तर (नया)	MBO	187	84	271
3	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	MSCBO	05	0	05
4	एम.एससी. रसायन शास्त्र	MSCCH	140	110	250
5	एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान	MSCCS	22	08	30
6	एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान (लेटरल)	MSCCS-L	01	02	03
7	एम.एससी. गणित	MSCMT	325	297	622
8	एम.एससी. गणित (लेटरल)	MSCMT-L	01	0	01
9	भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर (नया)	MPH	181	78	259
10	एम.एससी. भौतिक शास्त्र	MSCPH	02	0	02
11	एम.एससी. प्राणी शास्त्र	MSCZO	10	05	15
12	प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर (नया)	MZO	284	78	362
13	एम.सी.ए.	MCA	07	01	08
14	एम.सी.ए. (लेटरल)	MCA-L	02	0	02
	स्नातक कार्यक्रम				
15	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	**BCA**	**04**	**02**	**06**
16	बी.एससी.	B.Sc.	111	37	148
17	बी.एससी. (लेटरल)	B.Sc.-L	32	39	71
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम				
18	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	**PGDCA**	**75**	**75**	**150**
	कुल योग		**1694**	**874**	**2568**

निवेदन है कि वाणिज्य एवं प्रबंधन विद्यापीठ से संबंधित निम्न पाठ्यक्रमों के समक्ष उल्लेखित छात्र संख्या जिनकी परीक्षाएं दिसम्बर 2019 से जून 2020 की अवधि में आयोजित की गई थी, उक्त उपाधि/डिप्लोमा हेतु योग्य प्रमाणित हुए है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	दिसम्बर 2019	जून 2020	कुल
	स्नातकोत्तर कार्यक्रम				
1	एम. कॉम.	MCOM	88	129	217
2	एम.बी.ए. (नया)	MBA	24	01	25
	स्नातक कार्यक्रम				
3	बी. कॉम.	BCOM	23	11	34
4	बी. कॉम. (लेटरल)	BCOM-L	05	10	15
5	व्यवसायिक प्रबंधन	BBA	02	06	08
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम				
6	कम्प्यूटर लेखांकन एवं अंकेक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	PGDCAA	05	04	09
	कुल योग		**147**	**161**	**308**

निवेदन है कि तेरहवें दीक्षान्त समारोह के पश्चात एवं प्रस्तावित चौदहवें दीक्षान्त समारोह तक उपयुक्त सभी विद्या पीठ से सम्बंधित सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दिसम्बर 2019 से जून 2020 परीक्षाओं में प्रस्तावित चौदहवें दीक्षान्त तक की अवधि में उत्तीर्ण छात्रों को भी उक्त उपाधि/डिप्लोमा हेतु योग्य माना जाये |

मेरी प्रार्थना है कि विद्या परिषद अनुमति दें कि उक्त सभी विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कि जाये |

कुलपति : क्या विद्या परिषद इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करती है ?

विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा उच्चारण : अवश्य अनुमति प्रदान कि जाये|

विद्या परिषद कि अनुमति पर कुछ ठहर कर कहना |

कुलपति : उक्त छात्रों को उपाधि धारण करने कि स्वीकृति दी जाती है |

(The Grace is Passed)

समस्त छात्रों को उपाधि करने कि स्वीकृति के पश्चात

कुलसचिव: कुलपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षा समारोह का विसर्जन किया जाये ?

कुलपति : मेरी अनुमति है |

कुलसचिव: दीक्षा समारोह अब विसर्जित होता है |